स्पीड पोस्ट

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ–226027
संख्या ई–7471 / 12–जी0एस0 / 2020(मिस–II),
दिनांक : 08/12 , 2020

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– उत्तर प्रदेश के कतिपय राज्य विश्वविद्यालयों में व्यक्तिगत (**Private**) शिक्षार्थी के रूप में प्रचलित शैक्षिक व्यवस्था को प्रतिबंधित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्रांकः–ओ0यू0 / 2920 / 2020 दिनांक 20–11–2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कुलपति ने उत्तर प्रदेश के कतिपय राज्य विश्वविद्यालयों में व्यक्तिगत (**Private**) शिक्षार्थी के रूप में प्रचलित शैक्षिक व्यवस्था को प्रतिबंधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में उक्त पत्र की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

(केयूर सी0 सम्पत)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी।

प्रतिलिपि कुलपति, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(केयूर सी0 सम्पत)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी।

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय परिसर, शान्तिपुरम (सेक्टर–एफ), फाफामऊ
प्रयागराज – 211021
कुलसचिव
फोन : 0532-2447035, 2447036
ई-मेल : registrar.uprtou@gmail.com

क्र०सं० 2

पत्रांक : ओ.यू./2920/2020

दिनाँक 20–11–2020

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
संख्या 7471
दिनांक 27/11/20

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
मा. कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,
राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ–226027

**विषय: उत्तर प्रदेश के कतिपय राज्य विश्वविद्यालयों में व्यक्तिगत (Private) शिक्षार्थी के रूप में प्रचलित शैक्षिक व्यवस्था को प्रतिबंधित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश में दिनाँक 18-11-2020 को आहूत बैठक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में व्यक्तिगत (Private) शैक्षिक व्यवस्था पर रोक लगाये जाने के विषय में आपके साथ इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी की चर्चा हुयी थी। सूच्य है कि उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज की स्थापना 1999 में उ.प्र. अधिनियम संख्या 10, 1999 के अन्तर्गत हुई है। विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे यह उद्देश्य रहा है कि दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से अधिसंख्य जन समुदाय में गुणात्मक शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में अभिवृद्धि करेगा।

उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा में दो ही उपागम, क्रमशः संस्थागत एवं दूरस्थ/मुक्त हैं। परन्तु प्रदेश के ऐसे राज्य विश्वविद्यालय जहाँ नियमित कक्षाओं एवं शिक्षकों की व्यवस्था है, वे भी मात्र अपना राजस्व बढ़ाने की दृष्टि से शैक्षणिक गुणवत्ता की बिना परवाह किये धड़ल्ले से व्यक्तिगत (Private) शैक्षिक व्यवस्था संचालित रखते हुये परीक्षायें करा रहे हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अन्य विश्वविद्यालयों में व्यक्तिगत (Private) शिक्षार्थी की सुविधा होने के कारण, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज जो कि राज्य सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, में शिक्षार्थियों का नामांकन प्रभावित हो रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुये कृपया तत्काल प्रभाव से सभी राज्य विश्वविद्यालयों में व्यक्तिगत (Private) शिक्षार्थी के रूप में प्रचलित शैक्षिक व्यवस्था पर रोक लगाने हेतु सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को संस्तुति करने का कष्ट करें।

सादर!

OSD नोट
24-11-2020
(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल
उत्तर प्रदेश

U.S.
26-11-2020
PS to OSD(E)

Sri Sachand, RO
26.XI.20

भवदीय

प्रो. (डॉ.) जी.एस. शुक्ल
कुलसचिव